न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.

वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88,53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 261/2018

1. रामलाल
2. साधुसिह
3. मांगाराम उर्फ भगतसिह

} पि0 देवाराम जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. सोहनसिह पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मलकीतकौर पुत्री देवाराम पत्नी करनैलसिह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री संजय शर्मा अधिवक्ता वादीगण

श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05-07-2019

वादीगण रामलाल आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा खाता विभाजन के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण का पिता देवाराम पुत्र फुमणराम व माता नंदो पत्नी देवाराम दोनो फौत हो चके है। जिनके जायज व कानूनी वारीसान वादीगण व प्रतिवादीयासं0 2 है। चकनं0 3 कएचआर जमाबन्दी संवत 2071 से 74 खाता सं0 56/52 में वादीगण के पिता देवाराम के नाम 1.344 हि0 व माता नंदो के नाम .837 हि0 व सोहनसिह पुत्र रामलाल के नाम .506 हि0 व रामलाल, साधुराम, मंगाराम पि0 देवाराम के नाम ब0हि0ब0 4.030आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी जद्दी जायदाद है।प्रतिवादी सं0 1, वादीसं0 1 का पुत्र है जो अलग रहता है।प्रतिवादीसं0 1 को उसका हिस्सा देकर काबिज करवा दिया हैं वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार घरू बटवारां किया हुआ है व घरू बटवारां के अनुसार वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।लेकिन उक्त भूमि घरू बटवारां के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से तथा खाता संयुक्त रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज घरू बटवारा के अनुसार भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर खाता अलग से कायम करवाने व रकम राज अलग से कायम करवाकर खाता हाजों में से पिता देवाराम व माता नंदो का नाम कलमजन करवाना चाहते है। वादपत्र के साथ वादीगण द्वारा देवाराम व नंदो के मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व ग्राम पंचायत से वारीसान की तस्दीक व जमाबन्दी पेश की गई।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारा के अनुसार भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने तथा वादीगण की भूमि का खाता अलग से कायम करवाने व खाता हाजा में से पिता देवाराम व माता नंदो का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी सं0 1 ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है।वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसका वादीगण व मुझ प्रतिवादी के मध्य आपस में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार घरू बटवारां किया हुआ है व बटवारा के अनुसार ही वादीगण व मुझ प्रतिवादीसं0 1 के कब्जा काश्त में भूमि चली आ रही है।इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी सं0 1 को कोई उज्र व एतराज नही है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। जो राजीनामा के साथ संलग्न कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल किया गया। प्रतिवादीयासं0 2 ने अदालत हाजा में जरिये अधिवक्ता अपना जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में घरू बटवारां हो चुका है व उक्त भूमि में मुझ प्रतिवादीया द्वारा अपना हिस्सा त्याग किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती हूँ। वाद पत्र की दफा 3 के अनुसार ही भूमि वादीगण व प्रतिवादीसं0 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।मुझ प्रतिवादीया के पिता देवाराम व माता नंदो का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति है।इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर खाता हाजा में से पिता देवाराम व माता नंदो का नाम कलमजन किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई उज्र व एतराज नही है। प्रतिवादीसं0 3 स्टेट की ओर से अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई।प्रतिवादीसं0 2 व स्टेट का जबाबदावा शामिल मिसल किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा व जबाबदावा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व उनके पूर्वज पिता देवाराम व माता नंदो के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि वादी सं0 1 चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/199 किलानं0 14,18,19/.759, 22/.215, 23/.215, प0न0 230/200 किलानं0 1,10/.506 है0 तथा वादीसं0 2 साधुसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/200 किलानं0 2 ता 8, 14,15 व वादीसं0 3 मांगाराम उर्फ भगतसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 230/200 किलानं0 2,8,9,11,12,13,19,20,22 व प्रतिवादीसं0 1 सोहनसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/199 किलानं0 17/.253, 24/.215 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादीगण की कृर्षि भूमि का खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने व चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 मे से देवाराम व नंदो का नाम

सहायक कलक्टर
टिब्बी

P.T.O.

Scanned by CamScanner

कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–261/2018

1. रामलाल
2. साधुसिह
3. मांगाराम उर्फ भगतसिह

} पि0 देवाराम जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. सोहनसिह पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. नलकीतकौर पुत्री देवाराम पत्नी करनैलसिह जाति बावरी निवासी डबलीबास मिढा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी सं0 1 चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/199 किलानं0 14,18,19/.759, 22/.215, 23/.215, प0न0 230/200 किलानं0 1,10/.506 है0 तथा वादीसं0 2 साधुसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/200 किलानं0 2 ता 8, 14,15/2.277 है0 व वादीसं0 3 मांगाराम उर्फ भगतसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 230/200 किलानं0 2,8,9,11,12,13,19,20,22/2.277 है0 व प्रतिवादीसं0 1 सोहनसिह को चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 प0न0 229/199 किलानं0 17/.253, 24/.215 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार ही वादीगण की कृषि भूमि का खाता अलग अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे व चकनं0 3 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 के खाता सं0 56/52 मे से देवाराम व नंदो का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.......निल.......मुब्लिक........निल.......बाबत्.............निल.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.07.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner